वित्तीय स्वीकृति / आयोजनेत्तर
संख्या:-482/XVII-1/2009-10(11)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 मई, 2009

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में जनजाति कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान संख्या–31 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक) के आय–व्ययक में जनजाति निदेशालय के अधिष्ठान से संबंधित अनुदान संख्या–31 के **आयोजनेत्तर पक्ष** की विभिन्न मदों मे प्राविधानित धनराशियों में से सलग्नक के अनुसार बचनबद्ध/अबचनबद्ध एवं आवश्यक मदों में **रुपये 1,20,000/– (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 मे वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या: 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय मासिक फेजिंग के आधार पर यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाय।
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–31 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

11. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।

12. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. **छठे वेतन आयोग की संस्तुति के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नही किया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारण वश सामान्य भविष्य निधि खाते में नही डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में नही रहेगा।**

14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।

15. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 47 (NP) /XXVII(3)/2009-10 दिनांक 12 मई, 2009 के क्रम मे जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः संख्याः- 480/XVII-1/2009-10(11)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः- 486/XVII.-1/2009-10(11)/2009,
दिनांक 18 मई, 2009 का संलग्नक

अनुदान संख्या-31 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225-02-001-03-00

मुख्य शीर्षक : 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण।
उप मुख्य शीर्षक : 02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण।
लघु शीर्षक : 001-निदेशन तथा प्रशासन।
उप शीर्षक : 03- जनजाति कल्याण निदेशालय।
ब्यौरेवार शीर्षक : 00-

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
08- कार्यालय व्यय	20
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
योग	120

(रूपये एक लाख ~~बीस~~ हजार मात्र)

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।